

## राजस्थान पुलिस अकादमी में हुई पुलिस जवाबदेही समिति की आमुखीकरण कार्यशाला



पुलिस अधिनियम 2007 के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप गठित पुलिस जवाबदेही समितियों की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी के सभागार में श्री गुलाब चन्द कटारिया, माननीय गृह मन्त्री राजस्थान सरकार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। राजस्थान पुलिस अकादमी की गार्ड द्वारा मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत तथा राज्य पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष श्री जी एल गुप्ता द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया।



इस कार्यशाला में राज्य पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव व सदस्यगणों तथा सभी जिलों की जिला जवाबदेही समिति के अध्यक्षों तथा सदस्य सचिव (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) स्तर के कुल 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सनद रहे कि पुलिस अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा लोक संब्यवहार में अनुभव रखने वाले सुविख्यात एवं एकता में विश्वसनीयता रखते वाले तथा मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध

स्वतन्त्र व्यक्ति को इन समितियों का अध्यक्ष मनोनीत किया है तथा राज्य स्तर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा जिला स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।



इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री गुलाब चन्द कटारिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए जो समितियां गठित की गई हैं, वे निष्पक्ष होकर अपना कार्य करें तथा इन समितियों की मूल भावना का ध्यान रखते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोर अवचारों की जांच कर समुचित कार्यवाही करें। पुलिस की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए इस प्रकार के प्रावधान एक्ट में किए गए हैं। यदि पुलिस अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यदि किसी प्रकार का दुराचार या अवचार करते हैं तो उन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाए कि छोटी मोटी शिकायतों को आधार बनाकर पुलिस अधिकारियों को अनावश्यक रूप से परेशानी भी न हो।





श्री जी एल गुप्ता, अध्यक्ष राज्य पुलिस जवाबदेही समिति ने समिति के कृत्यों तथा शक्तियों के बारे में जानकारी दी तथा जिला समितियों के अध्यक्षों तथा सदस्य सचिवों की जानकारी को अद्यतन किया।



श्री एन आर के रेड्डी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तथा सदस्य सचिव राज्य पुलिस जवाबदेही समिति ने पुलिस अधिनियम के संदर्भित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुलिस अधिकारियों की भूमिका के बारे में जानकारी दी।